निजी औद्योगिक पार्क बसाने पर डेवलपर को मिलेंगे 70 से 130 करोड़

लखनऊ। निजी औद्योगिक पार्क विकसित करने पर योगी सरकार बड़ी सौगात देगी। डेवलपर को 70 करोड़ से 130 करोड़ रुपये तक की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। स्टांप शुल्क में 100 फीसदी छूट दी जाएगी। सोमवार को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास अधयुक्त मनोज कुमार सिंह ने स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर (एसओपी) जारी कर दी। यूपीसीडा को नोडल एजेंसी बनाया गया है। निवेश मित्र पोर्टल से आवेदन किया जा सकता है।

कोई भी निजी औद्योगिक संस्थान, कंसोर्टियम या एसपीवी निजी औद्योगिक पार्क लगा सकेगा। उसका कंपनी एक्ट या सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत होना अनिवार्य है। कंसोर्टियम या एसपीवी के पास 100 फीसदी शेयर होल्डिंग होना चाहिए। प्रमुख सदस्य के पास न्यूनतम 26 फीसदी इक्विटी को अनिवार्य किया गया है। बुंदेलखंड और पूर्वांचल में न्यूनतम 20 एकड़, मध्यांचल व पश्चिमांचल में 30 एकड़ और प्रदेश में कहीं भी 100 एकड़ से ज्यादा जमीन के निजी औद्योगिक पार्क को मान्यता मिलेगी। प्रोत्साहन राशि का लाभ पाने के लिए 20 से 30 एकड़ वाले पार्क को पांच साल और 100 एकड़ वाले पार्क को छह वर्ष में विकसित करना होगा। लीज की जमीन पर औद्योगिक पार्क को अनुमति नहीं मिलेगी। प्रत्येक औद्योगिक पार्क को एक यूनीक आईडी दी जाएगी, जिसे यूपीसीडा द्वारा जारी किया जाएगा। औद्योगिक पार्कों को प्रोत्साहन राशि देने के लिए 16 सदस्यीय इम्पावर्ड कमेटी का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास अधयुक्त होंगे। इसी कमेटी की अनुशंसा पर औद्योगिक विकास मंत्री प्रोत्साहन राशि देंगे। ब्यूरो